भाग–2

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाऐं

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाऐ

(क) **राज्य योजनाऐं**

(1) वृद्धावस्था पैंशन योजना
Old age Pension Scheme

उद्देश्य बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक है तथा उनकी देख रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा जिनके अव्यस्क बच्चे हो व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/– रु0 से अधिक न हो।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतें से 15000/–रु0 से अधिक न हो।

सहायता 550/–रु0 प्रतिमाह

प्रक्रिया पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है जो पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।